


राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7 (57) परि/नियम/मु./94/पार्ट-11/2014/27136

जयपुर, दिनांक: - 25/10/2019
14.11.19

कार्यालय आदेश 21 / 2019

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 09/2016 दिनांक 31.03.2016 को दिनांक 31.03.2020 तक प्रास्थगित (Abeyance) किया जाता है।



(राजेश योदव)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक: प.7(57) परि/नियम/मु./94/पार्ट-11/2014/27137-27143 जयपुर, दिनांक: - 25/10/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)